विदेश भुगतान अनुभाग (एफ पी एस)

प्रभारी अधिकारीः श्री अनुराग सिक्का, वरिष्ठ लेखा अधिकारी
इंटरकोम सं0. 115 ई मेल आइ डीः fps.pcdand@nic.in

यह अनुभाग निम्नलिखित कार्य करता हैः

1. रक्षा मंत्रालय तथा तीनों सेवाओं के मुख्यालय साथ ही तट रक्षक एवं संयुक्त स्टाफ द्वारा समाप्त विदेशों से प्राप्त प्रापण संबंधी संविदाओं की संवीक्षा।
2. संविदा की शर्तों तथा प्रतिबंधों के अनुसार विदेशी विक्रेताओं को किये जाने वाला भुगतान – या तो साख पत्र (एल सी) के द्वारा अथवा सीधे बैंक स्थानांतरण (डी बी टी) के द्वारा।
3. तत्कालीन यू एस एस आर के साथ किये गये करार के अधीन रुस को की गयी आस्थगित भुगतानों को जारी करना।
4. विभिन्न बैंकों से प्राप्त नामे सलाह का समायोजन करना तथा संबंधित कूट शीर्षों के व्यय की बुकिंग करना।
5. खाता बही के सत्यापन हेतु संबंधित र.ले.प्र.नि./र.ले.नि. को दिये जाने वाले बीजक/प्राप्ति प्रमाण-पत्र का अनुसूचीयन।

बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ ए क्यूज़) :

प्र. साख पत्र क्या है?

उत्तर. साख पत्र एक लिखित वचन – बंध होता है जोकि बैंक द्वारा माल अथवा सेवाओं के क्रेता (प्रार्थी) की ओर से माल तथा सेवा विक्रेता(लाभार्थी) को भुगतान किया जाता है,कुछ निश्चित धन राशि उसे प्राप्त हो सकती है बशर्ते साख की वैधता के अन्दर उसने साख में नियत दस्तावेज प्रस्तुत किये हो।

प्र कृपया एल सी के प्रकार बताएं?

उत्तर. (1) प्रतिसंहरणीय एल सी (2) अप्रतिसंहरणीय एल सी (3) सीमित एल सी
(4) परिक्रामी एल सी

प्र. अग्रिम भुगतान मामले हेतु कौन – कौन से दस्तावेज संलग्न किये जाते हैं?

उत्तर. संविदा के अन्दर अग्रिम भुगतान का प्रावधान निहित होना चाहिये। अग्रिम भुगतान का मामला इस कार्यालय में सी एफ ए द्वारा (स्याही हस्ताक्षरित प्रति)अग्रिम भुगतान स्वीकृति के साथ, अग्रिम बैंक गारंटी(इस मामले में अधित्याग करने वाले के लिये रक्षा सचिव की स्वीकृति को भी संलग्न किया जाए), फार्म -1 ए(प्रापण मामले में), फार्म – 2ए(प्रापण के अतिरिक्त अन्य सभी मामलों में), एफ ई एम ए प्रमाण-पत्र तथा एफ एफ इ जारी प्रफोर्मा प्रस्तुत किये जाएं।

प्र. एल सी खोलने हेतु किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

उत्तर. संविदा (मूल रुप में), सीएफए द्वारा मंजूरी (स्याही से हस्ताक्षरित प्रति), फार्म – 2 (स्वीफ्ट – 700), फार्म 1 ए, अनुलग्नक – डी, एफईएमए प्रमाण-पत्र, एफएफई निर्मुक्ति/टिप्पण, अग्रेषण ज्ञापन ।

प्र. प्रत्यक्ष बैंक स्थानांतरण मामलों में कौन से दस्तावेज अपेक्षित होते हैं?

उत्तर. संविदा (मूल रुप में), सीएफए द्वारा मंजूरी (स्याही से हस्ताक्षरित प्रति), फार्म – 2 (स्वीफ्ट – 700), फार्म-1ए, अनुलग्नक – डी, एफईएमए प्रमाण-पत्र, एफएफई निर्मुक्ति/टिप्पण, अग्रेषण ज्ञापन,

बीजक, वायुमार्ग बिल, पैकिंग सूची तथा संविदा अनुसार अन्य दस्तावेज।

प्र. एल सी का संशोधन/विस्तारण किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर. सी एफ ए द्वारा अनुमोदित साक्ष्यांकित प्रतियां विधिवत रुप से समर्थित संशोधन /विस्तारण के लिये निदेशालय मामले को तैयार करेगा जिसमें स्पष्ट किया गया होगा कि इसके प्रभारों को कौन वहन करेगा।

प्र यदि सपुर्दगी अवधि समाप्त हो जाती है तथा माल की सपुर्दगी नही होती है, तो ऐसी में क्या होता है?

उत्तर. सपुर्दगी अवधि को बढाने हेतु निदेशालय, सी एफ ए के अनुमोदन से विधिवत समर्थित मामले को प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे डी पी में स्पष्ट रुप से वर्णन होना चाहिये कि यह परिसमाप्त खाता क्षति का है या बगैर एल डी का। बगैर एल डी मामलों के लिये ,आइ एफ ए/रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति जरुरी है।

प्र. लेखाकरण प्रणाली क्या है?

उत्तर. पंचिंग माध्यम श्रेणी -1 के रुप में बैंक से प्राप्त नामे सलाह की बुकिंग के माध्यम से एल सी मामले का लेखाकरण किया जाएगा। डी बी टी के मामले में ,एफ एफ ई नोटिंग में दी गयी दर पर प्राधिक्करण भुगतान के समय पर श्रैणी – 1 वाउचर तैयार किया जाएगा,बैंक से डी ए प्राप्त होने के पश्चात बचे हुए को श्रेणी – 2 वाउचर के माध्यम से बुक किया जाएगा।